भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3918

जिसका उत्तर 19.12.को दिया जाना है 2024

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क अवसंरचना

3918. श्री गौरव गोगोई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों, घायलों और संपत्ति की क्षति सहित तत्संबंधी अद्यतन आंकड़े क्या है;

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अवसरंचना को सुधारने हेतु क्या विशिष्टउपाय किए जा रहे हैं;

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एम्बूलेंस, उपकरणों से सुसज्जित अस्पतालों और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियोंकीउपलब्धता सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
और

(घ) क्या सड़कों का उपयोग करने वालों को जानकारी प्रदान करने के लिए जन जागरूकता अभियानचलाए जा रहे हैं औरयदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2021 और 2022 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं, हताहतों और घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है: -

राज्य	**सड़क दुर्घटनाओं की संख्या**		**मृतकों की संख्या**		**घायल व्यक्ति**	
	2021*	**2022**	**2021***	**2022**	**2021***	**2022**
अरुणाचल प्रदेश	283	227	157	148	347	186
असम	7,411	7,023	3,036	2,994	5,763	5,637
मणिपुर	366	508	110	127	504	817
मेघालय	245	246	187	162	263	310
मिजोरम	69	133	56	113	65	107
नागालैंड	746	489	55	73	380	291
सिक्किम	155	211	56	92	244	354
त्रिपुरा	479	575	194	241	547	541
कुल	**9,754**	**9,412**	**3,851**	**3,950**	**8,113**	**8,243**

* - कोविड प्रभावित वर्ष।

(ख) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है। सड़क सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। सड़क

सुरक्षा पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की शुरुआत के साथ शुरू होती है क्योंकि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सड़क सुरक्षा ऑडिट को सभी चरणों यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव पर अनिवार्य बना दिया गया है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, आवश्यकतानुसार आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, ताकि दुर्घटना की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में हताहतों की समस्या का समाधान किया जा सके तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वाहन पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर-पूर्वी राज्यों में पोर्टल पर पंजीकृत कुल एम्बुलेंसों की संख्या 9109 है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: -

12-11-2024 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत एम्बुलेंस की संख्या	
राज्य	**एम्बुलेंसों की संख्या**
अरुणाचल प्रदेश	**382**
असम	**5,709**
मणिपुर	**339**
मेघालय	**1,165**
मिजोरम	**296**
नागालैंड	**348**
सिक्किम	**253**
त्रिपुरा	**617**
कुल	**9109**

सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने "ट्रॉमा और जलने से हुए हताहतों के बचाव एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में 41 ट्रॉमा देखभाल सुविधाओं को मंजूरी दी है, जैसा कि अनुबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है।

(घ) सरकार सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रचार प्रसार योजना चलाती है। इस योजना के तहत, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से उत्तर-पूर्वी राज्यों में सड़क सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न संगठनों को 104.08 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

इसके अलावा, सरकार सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाती है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है।

अनुबंध

'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क अवसंरचना' के संबंध में श्री गौरव गोगोई द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3918 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

"ट्रॉमा और जलने से हुए हताहतों के बचाव एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम " के अंतर्गत स्वीकृत पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में आघात देखभाल सुविधाओं (टीसीएफ) का विवरण:

क्रम सं.	राज्य	ट्रॉमा केयर अस्पताल का नाम	स्तर
1	**असम**	मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिलचर	एल II
2		सिविल अस्पताल, हाफलोंग	एल III
3		सिविल अस्पताल, दिफू	एल III
4		जिला अस्पताल, नागांव	एल II
5		मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गुवाहाटी	एल II
6		जिला अस्पताल , नलबाड़ी	एल III
7		सिविल अस्पताल, बोंगाईगांव	एल III
8	**अरुणाचल प्रदेश**	जनरल अस्पताल, बोमडिला	एल III
9		जिला अस्पताल, रोइंग	एल III
10		जिला अस्पताल, तेजू	एल III
11		जिला अस्पताल, खोंसा	एल III
12	**मणिपुर**	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	एल I
13		जिला अस्पताल, चुराचांदपुर	एल III
14		जिला अस्पताल सेनापति	एल III
15		जिला अस्पताल बिशुनपुर	एल III
16		थौबल जिला अस्पताल	एल III
17		चंदेल जिला अस्पताल	एल III
18	**मेघालय**	सिविल अस्पताल, तुरा	एल III
19		सिविल अस्पताल नोंगपोह	एल III
20		सिविल अस्पताल शिलांग	एल II
21	**मिजोरम**	सिविल अस्पताल, आइजोल	एल II
22		जिला अस्पताल, लावंगतलाई	एल III
23		जिला अस्पताल, सैहा	एल III
24		जिला अस्पताल, लुंगलेई	एल III
25		जिला अस्पताल कोलासिब	एल III
26		जिला अस्पताल चम्फाई	एल III
27		जिला अस्पताल सेरछिप	एल III
28	**नागालैंड**	जिला अस्पताल, तुएनसांग	एल III
29		जिला अस्पताल, किफिरी	एल III
30		जिला अस्पताल, मोन	एल III
31		नागा अस्पताल कोहिमा	एल II
32		जिला अस्पताल, दीमापुर	एल III

33	**त्रिपुरा**	धर्म नगर, उप-विभागीय अस्पताल	एल III
34		संतिरबाजार पीएचसी, विभागीय अस्पताल	एल III
35		जिला अस्पताल, गोमती	एल III
36		अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज	एल II
37		जिला अस्पताल, धलाई	एल III
38	**सिक्किम**	जिला अस्पताल नामाची	एल III
39		जिला अस्पताल, सिंगताम	एल III
40		जिला अस्पताल, मंगन	एल III
41		एसटीएनएम अस्पताल गंगटोक	एल II

*****